Watershed Development w.e.f. 1st April, 1995. The programme is being implemented under four schemes/programmes namely: Drought Prone Areas Programme/Desert Development Programme/Employment Assurance Scheme and Integrated Wastelands Development Projects Scheme.

In addition to the above schemes/ programmes, watershed development is one of the permissible items of work allowed under Jawahar Rozgar Yojana scheme

(b) and (c) The total funds available under Integrated Wastelands Development Projects Scheme/Drought Prone Areas Programme/ Desert Development Programme and Employment Assurance Scheme during 1998-99 is Rs. 2257.10 crores.

(d) and (e) The projects/programmes are continously monitored through periodical progress reports/review meetings/inspections at the level of District Rural Development Agencies/Zilla Parishads/State Governments as well as evaluted by the independent evalutors at times.

राष्ट्रीय पेयजल मिशन

1672. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पेयजल की समस्या से ग्रस्त देश के क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था कायम करने के लिए राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की गई थी,

(ख) यदि हां, तो इस मिशन की स्थापना कब की गई थी और मिशन द्वारा पेयजल परियोजनाओं के निर्माण पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है, और

(ग) क्या देश के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था कायम करने के लिए आवश्यक व्यय राशि का कोई अनुमान लगाया गया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय पेयजल मिशन वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती रही हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में राजीव गांधी-राष्ट्रीय पेय जल मिशन के जरिए सहयोग देती है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1998 तक ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया व्यय 9603.15 करोड़ रुपये हैं।

(ग) राज्य सरकारों ने नौंवी योजना के दौरान देश की सभी ग्रामीण बसावटों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 9149.12 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाएं

1673. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अनेक पेयजल परियोजनाएं निर्माणधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1998 तक निर्माणाधीन इन परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है;

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और कितनी धनराशि की आवश्यकता होने का अनुमान है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) से (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की प्रणाली की तरह त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इसीलिए निर्माणाधीन परियोजनाएं आदि जैसी जानकारी केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्रामीण बसावटों को दिसम्बर, 1998 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में 23191.46 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

(घ) राज्य सरकारों ने 9 वीं योजना अवधि के दौरान देश की सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 9149.12 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

Employment opportunities in Assam

1674. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for creation of employment opportunities for educated youths in Assam, particularly in its rural, tribal and hill areas;

(b) if so, the details in this regard and if not; the reasons therefor; and

(c) the total amount of expenditure to be incurred on implementation of the scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOWDA PATIL): (a) to (c) Ministry of Rural areas and Employment is implementing the programmes, namely, Jawahar Rozgar Yojana (JRY), Employment Assurance Scheme (EAS), Integrated Rural Development Programme (IRDP), Training of Rural Youth for Self-Employment (TRYSEM), Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA) for generating employment opportunities in rural areas for people below poverty line throughout the country including tribal and hilly areas of Assam. In addition, Ministry of Industry is implementing Prime Minister Rozgar Yojana (PMRY) for providing job opportunities for educated unemployed youth in rural areas including tribal and hilly areas.

The amount of expenditure incurred on implementation of these Schemes during the current year in Assam are indicated below:—

(Rs. in lakhs)

Name of the Scheme	Allocation	Expenditure incurred
JRY	8357.73	2735.23
MWS	1808.38	565.64
EAS	10035.00	6043.42
IRDP	10492.72	1027.67
DWCRA	1122.40	66.81
TRYSEM	647.42	49.89
TOOLKITS	424.42	85.08

Under PMRY no State-wise allocation of funds is made.

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु आबंटनों में कटौती

1675. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष, 1998-99 के बजट में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आबंटनों में कटौती करने के लिए एक निर्णय लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) कुल आबंटित धनराशि कितनी थी और उसमें से कुल कितनी धनराशि की कटौती करने का निर्णय लिया जा रहा है; और

(घ) दिसम्बर, 1998 तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) से (ग) कुछ कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्य निष्पादन के आधार पर और इन एजेंसियों के पास खर्च न की गई राशि के संग्रह को देखते हुए आबंटन को 9900 करोड़ रुपये से घटाकर 9400 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है जिससे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आबंटन 500 करोड़ रुपये कम हो जायेगा।

(घ) दिसम्बर, 1998 तक कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 8285.80 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीणों का प्रवास

1676. श्रीमत सरोज दुबे: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्रों में प्रवास कर रहे हैं;